<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–145/2022</u>

गणेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

समाहर्ता, प0 चम्पारण एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
11.05.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.03.2023 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद की वादग्रस्त भूमि जो वादपत्र के मद सं0–01 एवं 02 में दर्ज है, उक्त भूमि वादीगण की खरीदगी भूमि है। जिसके निस्वत वादीगण द्वारा अपने स्वत्व अधिकार की घोषणा करते हुये दखल कब्जें को सम्पूष्ट करने एवं वादग्रस्त भूमि के निस्वत प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत पर्चा शुन्य एवं अवैध घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के अंश भूमि में आम का बगीचा लगाया गया है तथा शेष भूमि पर वादीगण द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। जिसमें गन्ना एवं गेहूँ का फसल लगाया गया है तथा वाद भूमि के मेड़ पर अर्जून जामून का पेड लगाया गया है। विवादित भूमि खेसरा 134 में दक्षिण–पूरब तथा खेसरा 141 में उत्तर की ओर पिलर गाड़कर फसल सुरक्षा हेतु कंटिला तार से घेराबंदी किया गया है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि में लगे पेड को चोरी छिपे काटने का प्रयास कर रहे है तथा पेड काटने के लिए घमकी स्थानीय लोगो द्वारा दिलवा रहे है। प्रतिवादीगण कभी भी अपनी दंबगई के बल पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादीगण द्वारा लगाये गये वादग्रस्त भूमि पर	

लगातार 11.05.2023	बगीचा एवं मेड पर अवस्थित पेड को काट सकते है। इसलिए विवादित भूमि की वर्तमान यथा स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन अभिलेख पर आना आवश्यक है। विवादित भूमि न्यायालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है तथा न्यायालय से विवादित भूमि तक जाने के लिए पक्की रोड़ है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करे। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक 13.04.2023 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानूनी दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। वादीगण का वाद बिहार लैण्ड सिलिंग एक्ट की धारा 43 के आधार पर भी पोषणीय नही है। वादग्रस्त भूमि भूहदबंदी वाद सं0–29/33/1973–74 की विषय वस्तु है। जिसका समाधान समाहर्ता महोदय के न्यायालय से ही संभव है। वादग्रस्त भूमि को अधिशेष घोषित कर सरकार प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को सौप चूकी है। बगीचा, पेड इत्यादि सब प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा लगाया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाये। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की वादग्रस्त भूमि जो वादपत्र के मद सं0–01 एवं 02 में दर्ज है, उक्त भूमि वादीगण की खरीदगी भूमि है। जिसके निस्वत वादीगण द्वारा अपने स्वत्व अधिकार की घोषणा करते हुये दखल कब्जें को सम्पूष्ट करने एवं वादग्रस्त भूमि के निस्वत प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम निर्गत	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–145/2022</u>

लगातार 11.05.2023	पर्चा शुन्य एवं अवैध घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में मेड पर लगे पेड एवं बगीचा से पेड़ काटने के प्रयास में है। वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 16.03.2023 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किया जायेगा। वाद दिनांक 12.06.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	